

प्रपत्र- 2.27

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मॉटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/- 
अविभागीय अभियन्ता
निर्माण एवं लो० वि० वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी 


सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो० वि० वि०
रूपकोट

नोट- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।